



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तलय अहमदाबाद-III
COMMISSIONERATE OF CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
AHMEDABAD-III

सीमा शुल्क भवन CUSTOMS HOUSE, आकाशवाणी के पास NEAR.ALL INDIA RADIO, नवरंगपुरा
NAVARANGAPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009
Tele:27545100/ Fax-27543676

व्यापार सूचना स 04/2017

Trade Notice No. 04/2017

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following notifications issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र संख्या	दिनांक	फा संख्या
1	02/2017-Central Excise (N.T.)	02.02.2017	334/7/2017-TRU
2	03/2017-Central Excise (N.T.)	02.02.2017	334/7/2017-TRU
3	04/2017-Central Excise (N.T.)	02.02.2017	334/7/2017-TRU
4	05/2017-Central Excise (N.T.)	02.02.2017	334/7/2017-TRU

अधिसूचना/ अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट हैं।

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मण्डल और क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of C.Ex., Ahmedabad-III are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दें।

अपर आयुक्त
1.2.17
अपर आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
अहमदाबाद-3